राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

निगरानी संख्या 565/2016/सीकर

नरेन्द्र सिंह पुत्र हरलाल सिंह
निवासी–गोठडा भुकरान तहसील व जिला –सीकर प्रार्थी

बनाम

1.राज्य सरकार जरिए उप पंजीयक, सीकर
2.छीतरमल पुत्र श्री बद्रीनारायण,निवासी–मौहल्ला शेखपुरा,सीकर
3.भवगती देवी पत्नि जगदीश प्रसाद अग्रवाल
4.दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल
5.लोकेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण
समस्त निवासी–मौहल्ला शेखपुरा सीकर
हाल आबाद 602 अशोका पेवेलियन कपाडिया हेल्थ क्लब के पास
न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत (गुजरात) अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक :.05.04.2017

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1898 (जिसे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा)की धारा 65 के अन्तर्गत विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर (जिसे आगे कलक्टर(मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 458/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कलक्टर(मुद्रांक) के आदेश दिनांक 25.01.2016 सपठित निर्णय दिनांक 22.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा रू. 26,73,950/– राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित किया गया है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत करते समय कलक्टर(मुद्रांक) के आदेश में विवादित राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही निगरानी की सुनवाई किये जाने का प्रावधान किया गया है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 (1) निम्न प्रकार है :–

"65.Revision by the Chief Controlling Revenue Authority,-(1) any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act, may within 90 days from the date of order, apply to the the Chief Controlling Revenue Authority or revison of such order :-

Provided that no revision application shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of fifty percent of the recoverable amount."

राज्य सरकार द्वारा Rajasthan Stamp (Amendment)2011 से fifty percent के स्थान पर twenty five percent प्रतिस्थापित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने की दिनांक से निगरानी की अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.03.2017 तक मुद्राक अधिनियम की धारा 65(1) की पालना नहीं करने के कारण उसकी निगरानी चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदल लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष